वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय
भरसार –246 123 (पौड़ी गढ़वाल)

प्रबंध परिषद् की तृतीय बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक : 14 सितम्बर, 2016

समय : 12:00 बजे मध्याह्न

स्थान : होटल अकेता, राजपुर रोड़, देहरादून

प्रबन्ध परिषद की तृतीय बैठक का कार्यवृत्त

(Minutes of the 3rd Meeting of the Board of Management)

वी0च0सिं0ग0 उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार प्रबन्ध परिषद की तृतीय बैठक दिनांक 14 सितम्बर 2016 को होटल अकेता, देहरादून में सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति एवं प्रबन्ध परिषद के अध्यक्ष प्रो0 मैथ्यू प्रसाद द्वारा की गई।

प्रबन्ध परिषद की बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थेः–

1. डा0 रणवीर सिंह, अपर मुख्य सचिव, कृषि एवं कृषि शिक्षा उत्तराखड शासन	–	सदस्य
2. डा0 पी0के0 मिश्रा, निदेशक, सी0डब्लू0सी0आर0टी0आई0 (आई0सी0ए0आर0 प्रतिनिधि)	–	सदस्य
3. प्रो0 पी0एस0 बिष्ट, प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम लि0, पन्तनगर (कृषि वैज्ञानिक)	–	सदस्य
4. डा0 एस0एस0 बिष्ट, निदेशक पशुपालन विभाग	–	सदस्य
5. प्रो0 सी0एम0 शर्मा, अधिष्ठाता वानिकी महाविद्यालय	–	सदस्य
6. प्रो0 बी0पी0 नौटियाल, अधिष्ठाता औधानिकी महाविद्यालय	–	सदस्य
7. श्री बलवीर सिंह रौतेला, प्रगतिशील किसान	–	सदस्य
8. श्री बैशाखी लाल, उद्योगपति/ कृषि उत्पादक	–	सदस्य
9. श्रीमती शोभा बहुगुणा, महिला समाज सेविका	–	सदस्य
10. डा0 मंगल सिंह मन्द्रवाल, कुलसचिव	–	सदस्य सचिव

बैठक के प्रारम्भ में कुलपति महोदय द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया। कुलपति/ अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों का परिचय कराया गया। कुलपति महोदय द्वारा परिषद को यह भी अवगत कराया गया कि डा0 मंगल सिंह मन्द्रवाल, उप कुलसचिव दून विश्वविद्यालय ने दिनांक 01–08–2016 को इस विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर कुलसचिव पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इसके पश्चात कुलपति महोदय द्वारा प्रबन्ध परिषद की द्वितीय बैठक के कार्यवृत्त/ संकल्प (Minutes) के स्वीकृत प्रस्तावों पर की गई कार्यवाही प्रस्तुत की गई। तत्पश्चात् कार्यसूची (Agenda) के प्रस्तावों को एक–एक कर प्रबन्ध परिषद के विचार हेतु रखा गया।

प्रस्ताव सं0 2016:03:02 **दिनांक 22 सितम्बर 2015 को सम्पन्न प्रबन्ध परिषद की द्वितीय बैठक में पारित कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।**

तृतीय प्रबन्ध परिषद की बैठक में प्रबन्ध परिषद की द्वितीय बैठक दिनांक 22 सितम्बर 2015 के कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि पर सहमति व्यक्त की गई।

प्रस्ताव सं0 2016:03:03 **दिनांक 22 सितम्बर 2015 को सम्पन्न प्रबन्ध परिषद की द्वितीय बैठक में कार्यवृत्त/ पारित संकल्प (Minutes) पर की गई कार्यवाही की समीक्षा।**

तृतीय प्रबन्ध परिषद की बैठक के सम्मुख प्रबन्ध परिषद की द्वितीय बैठक दिनांक 22 सितम्बर 2015 के कार्यवृत्त (Minutes) पर की गई कार्यवाही रखी गई।

प्रस्ताव सं0 2/7 पर प्रबन्ध परिषद द्वारा यह अभिमत दिया गया कि जो शिक्षक/ अधिकारी/ कर्मचारी वि0वि0 के निर्देशानुसार मूल कार्यस्थल से पृथक स्थान पर तैनात/ सम्बद्ध किये गये हों तो उन्हें उनकी अंतरिम तैनाती के स्थान/ शहर के अनुसार अनुमन्य मकान किराया भत्ता दिया जाय। कार्यवृत्त के अन्य सभी बिन्दुओं/ पारित संकल्पों पर की गई कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया गया।

प्रस्ताव सं0 2016:03:04 **शासन द्वारा स्वीकृत विश्वविद्यालय की शैक्षणिक कार्मिक सेवा नियमावली – 2016 एवं शिक्षणेत्तर कार्मिक सेवा नियमावली – 2016 के संशोधित आलेख का प्रबन्ध परिषद द्वारा पुनः अनुमोदन।**

शासन द्वारा स्वीकृत विश्वविद्यालय की शैक्षणिक कार्मिक सेवा नियमावली – 2016 एवं शिक्षणेत्तर कार्मिक सेवा नियमावली – 2016 के संशोधित आलेख को विश्वविद्यालय की प्रबन्ध परिषद द्वारा दिनांक 14 सितम्बर 2016 को सम्पन्न प्रबन्ध परिषद की तृतीय बैठक में पुनः अनुमोदित करते हुए चरणबद्ध रूप से सीधी भर्ती किये जाने हेतु निर्देशित किया गया किन्तु जिन रिक्त पदों के सापेक्ष उपनल कर्मी कार्यरत हैं, उन पदों पर सीधी भर्ती हेतु संबंधित शासनादेशों का अनुपालन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। अपरिहार्य परिस्थितियों में ही केवल आवश्यक सेवाओं में प्रतिस्थापन (उपनल कर्मी द्वारा छोड़े गये पद पर) के आधार पर आउटसोर्सिंग (उपनल) तथा संविदा

कार्मिक भर्ती किये जाने हेतु निर्देशित किया। अंतरिम व्यवस्था के अंतर्गत विकल्प के रूप में अति आवश्यक कार्यों के सम्पादन के लिए केवल प्रतिनियुक्ति पर शिक्षक/ वैज्ञानिक/ अधिकारी रखे जाने पर सहमति व्यक्त की गई।

प्रस्ताव सं0 2016:03:05

विश्वविद्यालय में वर्तमान में कार्यरत/ तैनात शैक्षणिक/ शिक्षणेत्तर अस्थाई/ आउटर्सोसड कार्मिकों/ अधिकारियों को स्थायी/ सीधी भर्ती की प्रक्रिया के दौरान अधिभार दिये जाने की संस्तुति।

प्रबंध परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में अंतरिम/ कामचलाऊ व्यवस्थान्तर्गत संविदा/ आउटर्सोसड शैक्षणिक/ शिक्षणेत्तर अधिकारी/ कार्मिक कार्यरत/ तैनात हैं, जिनको सीधी भर्ती के दौरान अधिभार दिया जा सकता है। सीधी भर्ती के दौरान अधिभार दिये जाने हेतु कार्यरत/ तैनात कार्मिकों की प्रमाणित सूची पूर्ण विवरण सहित संबंधित अधिष्ठाता/ निदेशक/ प्रभारी द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

कुलसचिव/ सदस्य सचिव, प्रबंध परिषद् द्वारा प्रबंध परिषद के संज्ञान में लाया गया कि पूर्व में शिक्षा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा भी पूर्व से उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत संविदा/ अस्थाई कार्मिकों को 10 प्रतिशत का अधिभार (वेटेज) अनुमन्य किया जा चुका है, जिसकी छायाप्रति कार्यसूची के साथ संलग्न की गई थी।

प्रबंध परिषद के मा0 सदस्यों द्वारा निम्न प्रस्ताव तथा उक्त संदर्भित अधिसूचना (उत्तराखण्ड शासन, शिक्षा अनुभाग की अधिसूचना/ प्रकीर्ण दिनांक 16.11.2011) का अवलोकन किया गया तथा प्रस्तावित अधिभार/ वेटेज प्रदान किये जाने हेतु अनुमोदन दिया गया:-

विश्वविद्यालय में शासन द्वारा स्वीकृत रिक्त पदों पर स्थायी/ सीधी भर्ती की प्रक्रिया के दौरान विश्वविद्यालय में संविदा पर कार्यरत तथा आउटर्सोसड शैक्षणिक/ शिक्षणेत्तर, कार्मिकों/ अधिकारियों को, अधिभार (वेटेज) दिया जाना प्रस्तावित किया गया। इस संदर्भ में यह प्रस्तावित किया गया कि विश्वविद्यालय में संविदा पर कार्यरत तथा आउटर्सोसड शैक्षणिक/ शिक्षणेत्तर, कार्मिकों/ अधिकारियों को, शासन द्वारा स्वीकृत विश्वविद्यालय के रिक्त पदों पर स्थायी/ सीधी भर्ती हेतु आयोजित लिखित

परीक्षा/ शैक्षणिक प्रदर्शन (Academic Performance)/ साक्षात्कार में कार्मिक (अभ्यर्थी) द्वारा प्राप्त कुल अंको का दो प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वेटेज जोडा जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत होगी।

प्रबन्ध परिषद ने उक्त प्रस्ताव पर सैद्वान्तिक स्वीकृति प्रदान करते हुये यह सुझाव दिया कि अधिभार/ वेटेज प्रदान किये जाने के संबंध में अधिसूचना जारी किये जाने हेतु प्रकरण शासन को प्रेषित किया जाए।

प्रस्ताव सं0 2016:03:06 **शैक्षणिक कार्मिकों की सीधी भर्ती हेतु स्कोर कार्ड का अनुमोदन।**

मा0 प्रबंध परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती की जानी है। इसके लिए अभ्यर्थियों के एकेडेमिक परफॉरमेन्स का मूल्यांकन आवश्यक होगा। उक्त हेतु सह–प्राध्यापक, प्राध्यापक, निदेशक तथा अधिष्ठाता आदि स्तर के पदों हेतु यू0जी0सी0/ आई0सी0ए0आर0 द्वारा निर्धारित मानकों तथा एकेडेमिक परफॉरमेन्स इन्डिकेटर (ए0पी0आई0) व्यवस्था को लागू किया जायेगा। चूंकि सहायक प्राध्यापक हेतु एकेडेमिक परफॉरमेन्स इन्डिकेटर (ए0पी0आई0) लागू नहीं होता है। अतः सहायक प्राध्यापक के पदों हेतु यू0जी0सी0/ आई0सी0ए0आर0 द्वारा निर्धारित मानकों को लागू करते हुए एकेडेमिक परफॉरमेन्स का मूल्यांकन स्कोरकार्ड द्वारा किया जा सकता है, जिसके लिए यू0जी0सी0/ आई0सी0ए0आर0 द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप स्कोर कार्ड का प्रारूप तैयार किया गया है। स्कोर कार्ड का प्रारूप प्रबंध परिषद के मा0 सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रबंध परिषद द्वारा प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करते हुए स्कोर कार्ड को अनुमोदित किया गया।

प्रस्ताव सं0 2016:03:07 **विश्वविद्यालय में संविदा पर कार्यरत टीचिंग एण्ड रिसर्च पर्सनल्स (TRPs) को विनियमित किये जाने की संस्तुति।**

विश्वविद्यालय में संविदा पर कार्यरत सहायक प्राध्यापक {टीचिंग एण्ड रिसर्च पर्सनल्स (TRPs)} को शासन द्वारा स्वीकृत रिक्त पदों के सापेक्ष विनियमित किये जाने का प्रस्ताव प्रबंध परिषद

के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रबन्ध परिषद ने सहायक प्राध्यापक {टीचिंग एण्ड रिसर्च पर्सनल्स (TRPs)} की भर्ती प्रक्रिया के तहत विज्ञप्ति प्रकाशित किये जाने, साक्षात्कार किये जाने तथा चयन समिति में बाह्य विशेषज्ञों के सम्मिलित किये जाने आदि के दृष्टिगत उक्त प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की। इसके साथ ही परिषद द्वारा यह निर्देशित किया गया कि उक्त पद शासन द्वारा स्वीकृत हैं तथा उक्त पदों हेतु वेतन राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, अतः कार्यरत सहायक प्राध्यापक {टीचिंग एण्ड रिसर्च पर्सनल्स (TRPs)} की सूची तैयार कर प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाय।

प्रस्ताव सं0 2016:03:08

शिक्षेणेत्तर कार्मिकों की सीधी भर्ती हेतु पदों की प्रकृति एवं पात्रता के अनुरूप आयु सीमा का निर्धारण का अनुमोदन।

प्रबंध परिषद् के सम्यक विचारोपरांत, यह सहमति बनी कि कुलसचिव, उप निदेशक निर्माण एवं सयंत्र, उप वित्त नियंत्रक, जनसम्पर्क अधिकारी, सहायक निदेशक निर्माण एवं सयंत्र, सहायक अधिष्ठाता छात्र कल्याण, सहायक निदेशक फार्म, लेखाधिकारी पद के अभ्यर्थी ने भर्ती के प्रथम वर्ष के प्रथम दिवस को 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 45 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो। जबकि समूह ग के जिन पदों हेतु शैक्षणिक योग्यता इन्टरमीडिएट निर्धारित है, अभ्यर्थी की न्यूतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 42 वर्ष तथा जिन पदों हेतु शैक्षणिक योग्यता स्नातक है, अभ्यर्थी की न्यूतम आयु 21 वर्ष व अधिकतम आयु 42 वर्ष होगी।

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और समय–समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक हो सकती है जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसने केन्द्रीयित सेवा अथवा विश्वविद्यालय के पदों पर कम से कम एक वर्ष की सेवा प्रदान की हो, अधिकतम आयु उस सीमा तक अधिक होगी जितना कि उसने केन्द्रीयित सेवा अथवा विश्वविद्यालय के पदों पर 35 वर्ष से 45 वर्ष के दौरान सत्त सेवा प्रदान की हो। प्रबन्ध परिषद द्वारा केन्द्रीयित सेवा नियमावली 2006 का अवलोकन करते हुये प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई।

प्रस्ताव सं0 2016:03:09

महाविद्यालय, भरसार में शिक्षारत् छात्र–छात्राओं के लिए एक 40+1=41 सीटर बस (Tata Star Marcopolo-Make 1), अनुमानित लागत रू0 20 लाख क्रय किये जाने के संबंध में।

महाविद्यालय, भरसार अति दुर्गम सूदूर पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है जो कि जनपद मुख्यालय पौड़ी से 57 कि0मी0 की दूरी पर है भरसार परिसर के आस–पास दूर–दूर तक चिकित्सालय, बाजार आदि भी उपलब्ध नहीं है, महाविद्यालय में छात्रावासो से पठ्न–पाठ्न हेतु कक्ष–कक्षाओं एवं नर्सरी की दूरी 2 से 5 कि0मी0 से भी अधिक हैं, छात्र–छात्राओं को समीपस्थ ग्रामों कसबो में कृषक/कृषि (खेती बाड़ी) जानकारी/प्रशिक्षण हेतु समय समय पर पाठ्यक्रम के तहत भ्रमण पर जाना पड़ता है, इस हेतु छात्र–छात्राओं एवं महाविद्यालय हित में एक 40+1=41 सीटर बस की नितान्त आवश्यकता है, जिसके लिए महाविद्यालय में गत वर्षो की आय/ अवशेष धनराशि में से बस का क्रय किया जाना प्रस्तावित किया गया। उक्त वाहन (Tata Star Marcopolo-Make 1) की अनुमानित लागत रू0 20 लाख है। टाटा कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा लिखित में अवगत कराया गया है कि उक्त वाहन DGS&D रेट पर उपलब्ध नहीं है। टाटा मोटर्स के अधिकृत डीलर के पत्र के आधार पर उक्त वाहन कम्पनी की दरों पर क्रय किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। प्रबन्ध परिषद ने प्रस्ताव पर विचार करते हुये टाटा मोटर्स के अधिकृत डीलर के पत्र का अवलोकन किया तथा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

प्रस्ताव सं0 2016:03:10

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य प्रस्ताव।

प्रतिपूरक कार्यसूची प्रस्ताव संख्या 2016:03:10 (1): प्रो0 बी0पी0 नौटियाल की सेवाओं का विश्वविद्यालय में आमेलन किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रो0 बी0पी0 नौटियाल, मिजोरम केन्द्रीय विश्वविद्यालय में प्राध्यापक (औधानिकी संगध एवं औषधीय पादप विभाग) के पद पर दिनांक 06 जुलाई, 2012 को सीधी भर्ती के तहत चयनित किये गये थे। इसके पूर्व वे उक्त विश्वविद्यालय में सह–प्राध्यापक आदि पदों पर कार्यरत थे। प्रो0 नौटियाल ने उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के विज्ञापन संख्या 02/2014/256

दिनाक 31.01.2014 के सापेक्ष प्राध्यापक पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन किया था। चयनोपरान्त प्रो0 नौटियाल ने दिनांक 02 जून, 2014 को उत्तराखण्ड औधानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय में प्राध्यापक (प्रतिनियुक्ति) के पद पर अपना योगदान दिया। प्रो0 नौटियाल अपने विषय के विख्यात वैज्ञानिक हैं। उन्होंने उच्च रैकिंग जर्नल्स में लगभग 110 शोध पत्र प्रकाशित किये हैं जिनका साईटेशन इन्डैक्स 600 से अधिक है, 11 पी0एच0डी0 छात्रों को सुपरवाइज किया है तथा वर्तमान में 4 पी0एच0डी0 छात्रों को सुपरवाइज कर रहे हैं, प्रो0 नौटियाल Cultivation of High Altitude MAPs & Horticulture पर दो किताबों के को–ऑथर/ एडिटर रहे हैं। इसके अतिरिक्त उनको सी0एस0आई0आर0 तथा डी0एस0टी0 अवार्ड प्राप्त हैं।

प्रो0 नौटियाल ने उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय में उसी पद (प्राध्यापक), वेतनमान तथा ग्रेड–पे जिस पर वह अपने पैतृक विश्वविद्यालय में नियमित रूप से कार्यरत थे, आवेदन किया। प्रो0 नौटियाल, अपने पैतृक विभाग में अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित हैं। प्रो0 नौटियाल के आवेदन को उनके पैतृक विश्वविद्यालय की एन0ओ0सी0 एवं अन्य प्रपत्रों के साथ प्रबन्ध परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रबन्ध परिषद द्वारा प्रपत्रों के अवलोकनोपरान्त प्रो0 नौटियाल की सेवाओं का उसी पद पर आमेलन किये जाने हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ ही प्रबन्ध परिषद द्वारा प्रकरण पर शासन के प्रशासनिक विभाग का अभिमत प्राप्त किये जाने हेतु कहा गया।

प्रतिपूरक कार्यसूची प्रस्ताव सं0 2016:03:10(2): विश्वविद्यालय में आई0सी0ए0आर0 के अंतर्गत कृषि विज्ञान केन्द्र की तर्ज पर विषय वस्तु विशेषज्ञ तथा सपोर्टिंग स्टाफ के पदों को शासन द्वारा स्वीकृत करवाये जाने के सम्बन्ध में।

प्रबंध परिषद द्वारा प्रस्ताव पर विचार कर यह सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय के शोध एवं प्रसार केन्द्रों के लिए, यदि आई0सी0ए0आर0 के कृषि विज्ञान केन्द्र का ढांचा अपनाया जाता है तो उसका वित्त पोषण आई0सी0ए0आर द्वारा किया जाना उचित होगा। इसके साथ ही परिषद द्वारा निर्देशित किया गया कि विश्वविद्यालय के शोध एवं प्रसार केन्द्रों के लिए स्थानीय कृषि विकास आवश्यकताओं के दृष्टिगत न्यूनतम् पदों का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाय।

प्रतिपूरक कार्यसूची प्रस्ताव सं0 2016:03:10(3): विश्वविद्यालय के रानीचौरी परिसर में तैनात 6 उपनल कार्मिकों के पदनाम में त्रुटि सुधार किये जाने के संबंध में।

इस प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरांत, प्रबंध परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण उपनल तथा उपनल कार्मिकों से संबंधित है। अतः प्रकरण पर विश्वविद्यालय की प्रबंध परिषद द्वारा निर्णय लिया जाना उचित नहीं होगा। अतः यह प्रस्ताव खारिज कर दिया गया।

प्रतिपूरक कार्यसूची प्रस्ताव सं0 2016:03:10(4): विश्वविद्यालय में पूर्व से संविदा पर कार्यरत टीचिंग एण्ड रिसर्च पर्सनल्स (TRPs) को सहायक प्राध्यापक (तदर्थ) पदनाम दिये जाने के सम्बन्ध में।

प्रबंध परिषद ने सम्यक विचारोपरांत, विश्वविद्यालय में कार्यरत टीचिंग एण्ड रिसर्च पर्सनल्स को पूर्व की सेवा शर्तो तथा वेतन के साथ सहायक प्राध्यपक (संविदा) पदनाम दिये जाने हेतु सहमति व्यक्त की। टीचिंग एण्ड रिसर्च पर्सनल्स को सहायक प्राध्यपक (संविदा) पदनाम की अन्य सेवा शर्तें तथा वेतन पूर्व की भांति रहेंगे। प्रबंध परिषद ने यह भी कहा कि सहायक प्राध्यापक (संविदा) तथा अन्य संविदा कर्मियों को केवल जून 2018 तक ही आवश्यकतानुसार रखा जाए, तथा इस दौरान नियमित भर्ती की प्रक्रिया कर ली जाएं।

प्रतिपूरक कार्यसूची प्रस्ताव सं0 2016:03:10(5): विश्वविद्यालय में विगत् वर्षों से कार्यरत उपनल कार्मिकों के विनियमितिकरण के सम्बन्ध में।

उपनल कर्मचारियों के विनियमितिकरण तथा वेतन विसंगति के संबंध में उपनल कर्मचारी महासंघ द्वारा की गई मांगों पर प्रबंध परिषद द्वारा विचार विमर्श किया गया। बैठक में शासन के प्रतिनिधियों द्वारा यह अवगत कराया गया कि उपनल कर्मचारियों के विनियमितिकरण आदि से संबंधित मामले राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन हैं। प्रकरण उपनल तथा राज्य सरकार से संबंधित हैं। अतः इस पर प्रबंध परिषद द्वारा विचार नहीं किया जा सकता।

विश्वविद्यालय में कार्यरत उपनल कार्मिक की आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रित को शैक्षिक योग्यतानुसार विश्वविद्यालय में रोजगार दिये जाने के सम्बन्ध में प्रबन्ध परिषद ने कहा कि इसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा उपनल से अनुरोध किया जा सकता है।

वानिकी महाविद्यालय रानीचौरी में पूर्व में संचालित एम0एस0सी0 उद्यान विज्ञान एवं एम0एस0सी0 सब्जी विज्ञान पुनः संचालित किये जाने के संबंध में प्रबंध परिषद ने यह कहा कि उक्त दोनों विषय औधानिकी के हैं, अतः इनका संचालन शैक्षणिक परिषद् द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार, औधानिकी महाविद्यालय, भरसार में किया जाना उचित है।

उपनल कार्मिकों के वेतन से मकान किराया भत्ता की कटौती के संबंध में प्रबंध परिषद द्वारा लेखा नियमों के अनुरूप कार्रवाई किये जाने हेतु सुझाव दिया गया।

प्रतिपूरक कार्यसूची प्रस्ताव सं0 2016:03:10(6): जिला टिहरी गढ़वाल के कुछ क्षेत्र पंचायत सदस्यों, ग्राम प्रधानों, व्यापार मंडल (चम्बा) तथा नागरिक मंडल (चम्बा) के संयुक्त ज्ञापन दिनांक 09.09. 2016 के संबंध में।

वानिकी महाविद्यालय रानीचौरी में पूर्व में संचालित एम0एस0सी0 उद्यान विज्ञान एवं एम0एस0सी0 सब्जी विज्ञान पुनः संचालित किये जाने के संबंध में प्रबंध परिषद ने यह कहा कि उक्त दोनों विषय औधानिकी के हैं, अतः इनका संचालन शैक्षणिक परिषद् द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार, औधानिकी महाविद्यालय, भरसार में किया जाना उचित है।

वानिकी महाविद्यालय का नाम पुनः वानिकी एवं पर्वतीय कृषि महाविद्यालय किये जाने के संबंध में परिषद ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पर्वतीय कृषि महाविद्यालय की स्थापना जनपद–रूद्रप्रयाग, विकासखण्ड–जखोली के चिरबटिया में किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं, तथा पर्वतीय कृषि महाविद्यालय का निर्माण चिरबटिया में किया जा रहा है, जिसके लिये शासन

द्वारा समय–समय पर धनराशि अवमुक्त की जाती रही है। अतः वानिकी महाविद्यालय का नाम पुनः वानिकी एवं कृषि महाविद्यालय किया जाना उचित नहीं है।

भर्ती के संबंध में परिषद ने प्रक्रिया अपनाते हुये नियमानुसार सीधी भर्ती किये जाने के निर्देश दिये।

शोध निदेशालय का निर्माण भरसार परिसर में किये जाने हेतु शासन द्वारा धनराशि अवमुक्त की गई है। उक्त धनराशि से शोध निदेशालय भवन भरसार परिसर में निर्माणाधीन है। उक्त के दृष्टिगत परिषद ने शोध निदेशालय की स्थापना भरसार परिसर में किये जाने को उचित ठहराते हुये इस पर सहमति व्यक्त की।

स्थानीय जनता को स्कूल वाहन आदि की सुविधा न्यूनतम शुल्क पर उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रबन्ध परिषद ने कहा कि इस संबंध में शासन को 03 बसों, 03 चालकों तथा 03 परिचालकों का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाय।

प्रतिपूरक कार्यसूची प्रस्ताव सं0 2016:03:10(7): विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यों का संचालन शोध एवं प्रसार केन्द्र स्थित परियोजना कार्यालय से किये जाने के सम्बन्ध में।

उक्त प्रस्ताव पर प्रबंध परिषद ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा प्रशासनिक तथा अनुश्रवण कार्यों का संचालन शोध एवं प्रसार केन्द्र, सेलाकुई स्थित परियोजना कार्यालय से किये जाने पर सहमति व्यक्त की।

प्रतिपूरक कार्यसूची प्रस्ताव सं0 2016:03:10(8): विश्वविद्यालय के मा0 कुलपति जी हेतु सुविधाएं।

प्रबंध परिषद द्वारा मा0 कुलपति जी हेतु उपयोग में लाई जा रही सुविधाओं का संज्ञान लेते हुए, सहमति व्यक्त की गई ।

07-10-2016

कुलसचिव/ सदस्य सचिव, प्रबंध परिषद

कुलपति/ अध्यक्ष, प्रबंध परिषद